न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रमांक : 15/381

प्रहलाद आयु 29 वर्ष गोद पुत्र श्री चतुर्भुज जाति कीर निवासी ब्राह्मणों का लुहारिया बरडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नानगी बेवा चतुर्भुज जाति कीर निवासी ब्राह्मणों का लुहारिया बरडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम ब्राह्मणों का लुहारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान, दान, परित्याग या अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा न ही अन्य से करावे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे

...नस्थ न्यायालय ने उक्त प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ...योजा में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे फिर भी उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट गोदपुत्र के आधार पर आए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि वादी पहले स्वयं को सक्षम सिविल न्यायालय से गोदपुत्र साबित करावाए बिना सक्षम न्यायालय से साबित करवाए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दसतावेज भी पेश नही किया है जिससे साबित हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में कोई त्रुटि की हो । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत

जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो सम्मत नहीं हैं क्योंकि जहॉ पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना हो वहॉ प्रकरण निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही होना चाहिए । इस प्रकार हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 05.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणागुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा